# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
## एफ0 ए0 संख्या–39 / 2018

मो0 करीम अंसारी ..... ..... अपीलार्थी

बनाम्

फकीर चंद्र रूज ..... ...... उत्तरदाता

**कोरमः मानानीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

05 / 20.06.2019

एफ0 ए0 संख्या 203 / 2018 में पारित आदेश के मद्देनजर और बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 (झारखण्ड अधिनियम 09 / 2019) में संशोधन के आलोक में, जो असाधारण राजपत्र में दिनांक 12 जून, 2019 को अधिसूचित हुआ, जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश के वित्तीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर 25 लाख रूपया कर दिया गया है, चूंकि इस अपील का सूट मुल्य (सूट भैल्यु) एवं अपील भैल्यु 25 लाख रूपये से कम है, इसलिए निचली अदालत के रिकॉर्ड के साथ इस अपील को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद के कार्यालय में वापस भेजा जाना चाहिए।

निचली अदालत अपील पर सुनवाई करने से पहले सभी पक्षों को नोटिस जारी करेगी।

( आनंदा सेन, न्याया0)